

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// निविदा सूचना //

कं. 568 / निविदा / लोक-11 / 2017-18 राजनांदगांव दिनांक 1/7/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निम्नांकित कार्य हेतु फर्म/एजेसी/ संबंधित व्यवसायी से आयटम दर पर निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेशित कर सकेंगे।

- 1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20/7/2017 भाम 5.00 बजे तक
 - 2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 22/7/2017 भाम 5.00 बजे तक
- कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव


| क. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि | अमानती राशि (रूपये में) | निविदा फार्म | निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में) | समयावधि माह |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | फ्लाई ओव्हर के नीचे स्थित 03 पिल्लर में 2 डी एवं 3 डी लोक कला एवं संस्कृति संबंधित पेटिंग कार्य | 1.37 | 2000.00 | बी | 300.00 | 01 |

शर्त:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट -छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित भाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। काट छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. नियम व भातों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/ प्राप्त की जा सकती है।




6. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे।
7. छत्तीसगढ़ भासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि/चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राजय में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिश्ठा संधि का पालन करना होगा।
8. पेन / टिन नं. का अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
9. संबंधित एंजेसी / फर्म / इच्छुक व्यवसायी के कार्य करने वाले का बीएफए का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव निविदा मान्य नहीं होगा।
10. दरे ईकाई प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी विवाद कि स्थिति मे आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
13. अन्य नियम व भाते कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।


 आयुक्त,
 नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ.कं.—569/निविदा/लोक-11/2017-18
 प्रतिलिपि:—

राजनांदगांव दिनांक 7/7/2017

1. माननीय महापौर नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने।
6. कार्यालय ————— नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।


 आयुक्त,
 नगर पालिक निगम, राजनांदगांव